पत्रांक–कारा/बजट(उप)–03–02/16....116......

बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
उपकारा, बेनीपुर, हिलसा, झंझारपुर,
मसौढ़ी, रोसड़ा, शेरघाटी एवं दलसिंहसराय।

पटना, दिनांक–...09../..3..../2017।

विषयः–**मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष–00, मांग सं0 22, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0003 उप जेल के तहत् वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु विभिन्न आकस्मिक मदों की निकासी हेतु ₹26,45,000 (छब्बीस लाख पैंतालीस हजार रूपये मात्र) के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।**

विपत्र कोड–N-2056001010003

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक–ब17/बी0एस0जी0–18/2016–423/वि. दिनांक–31.03.2016 पत्रांक–एम0–4–09/2014–4572/वि0 दिनांक–03.06.2016 एवं ज्ञाप संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु अधीक्षक, उपकारा, बेनीपुर, हिलसा, झंझारपुर, मसौढ़ी, रोसड़ा, शेरघाटी एवं दलसिंहसराय से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निम्नरूपेण राशि का अतिरिक्त आवंटन विभिन्न आकस्मिक मदों में स्वीकृत किया जाता है :–

क्र	उपकारा का नाम	कुट सं0 एवं मद	पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दो में
1	बेनीपुर	13 01 कार्यालय व्यय	224000	45000	269000	दो लाख उनहत्तर हजार रूपये मात्र।
		21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	339000	100000	439000	चार लाख उनचालीस हजार रूपये मात्र।
		21 03 आहार/पथ्य	3515000	500000	4015000	चालीस लाख पन्द्रह हजार रूपये मात्र।
2	हिलसा	13 02 वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव	70000	10000	80000	अस्सी हजार रूपये मात्र।
		21 02 दवा भंडार	418000	130000	548000	पाँच लाख अड़तालीस हजार रूपये मात्र।
3	झंझारपुर	13 01 कार्यालय व्यय	240000	50000	290000	दो लाख नब्बे हजार रूपये मात्र।
		13 06 वर्दी /पोषाक	70000	20000	90000	नब्बे हजार रूपये मात्र।
		21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	361000	100000	461000	चार लाख एकसठ हजार रूपये मात्र।
		21 02 दवा भंडार	160000	40000	200000	दो लाख रूपये मात्र।
4	मसौढ़ी	13 01 कार्यालय व्यय	238000	50000	288000	दो लाख अठासी हजार रूपये मात्र।
		21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	343000	80000	423000	चार लाख तेईस हजार रूपये मात्र।
		21 02 दवा भंडार	152000	30000	182000	एक लाख बेरासी हजार रूपये मात्र।

संजय कुमार
सहायक

मो० जमालुद्दीन अंसारी
प्रशाखा पदाधिकारी

राम नरेश सिंह
उप निदेशक (बजट)

5	दलसिंहसराय	13 02 वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव	40000	20000	60000	साठ हजार रूपये मात्र।
		21 03 आहार/पथ्य	1566000	200000	1766000	सत्रह लाख छियासठ हजार रूपये मात्र।
6	रोसड़ा	13 01 कार्यालय व्यय	313000	30000	343000	तीन लाख तैंतालीस हजार रूपये मात्र।
		21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	470000	40000	510000	पाँच लाख दस हजार रूपये मात्र।
		21 03 आहार/पथ्य	4875000	400000	5275000	बावन लाख पचहत्तर हजार रूपये मात्र।
7	शेरघाटी	21 03 आहार/पथ्य	9682000	700000	10382000	एक करोड़ तीन लाख बेरासी हजार रूपये मात्र।
		13 06 वर्दी /पोषाक	80000	100000	180000	एक लाख अस्सी हजार रूपये मात्र।
		कुल योग	**23156000**	**2645000**	**25801000**	दो करोड़ अनठावन लाख एक हजार रूपये मात्र।

(छब्बीस लाख पैंतालीस हजार रूपये मात्र)

2. इस आवंटन की स्वीकृति मुख्य शीर्ष–2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–101 जेल, मांग सं0–22, उपशीर्ष–0003 उप जेल (विपत्र कोड–N2056001010003) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट उपबंधित राशि से निर्गत किया जा रहा है।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय में, बिहार वित्तीय नियमावली, वित्तीय नियमावली 2005 (संशोधित) एवं इनके अन्तर्गत निर्गत समस्त नियमों, अनुदेशों तथा वित्त विभाग के ज्ञाप सं0 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग सहित विभागीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाय।

6. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष– 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–101 जेल, उपशीर्ष–0003 उप जेल के तहत् होगा। काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि संलग्न विवरणी में उल्लिखित मदों की कूट संख्या, मांग संख्या–22 एवं विपत्र कोड–N2056001010003 का उल्लेख विपत्रों पर अवश्य करें अन्यथा कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किया जायेगा।

7. सामग्री एवं पूर्तियाँ/आहार/पथ्य मद में आवंटित की जाने वाली राशि से प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम जिन कारा निर्माणशालाओं से सामग्रियों /खाद्य पदार्थों का उठाव किया गया है उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। निर्माणशाला में उत्पादित सामग्री/खाद्य पदार्थों का क्रय किसी भी परिस्थिति में बाजार /आपूरक/अन्य एजेंसी से नहीं किया जाएगा।

8. कारा निर्माणशाला से निर्गत होने वाले सामग्रियों का क्रय उक्त कारा से ही किया जाएगा अथवा किया गया है और किसी अन्य श्रोत से उनका क्रय नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र पर अंकित करेंगे। साथ ही काराधीक्षक विभागीय पत्रांक–1395 दिनांक–03.03.2015 एवं 3804 दिनांक–26.06.2008 के शत–प्रतिशत अनुपालन हेतु उत्तरदायी होंगे।

9. काराओं में संसीमित वास्तविक बंदी संख्या एवं क्रय समितियों द्वारा अनुमोदित दर के अधीन ही संगत मदों में राशि का नियमानुसार व्यय किया जायेगा। यदि किसी मद में राशि की बचत संभावित होती है तो ससमय प्रत्यर्पित कर दिया जायेगा। यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता संभावित है तो पूर्ण औचित्य सहित ससमय अधियाचना प्रस्तुत किया जायेगा। स्पष्ट औचित्य के बिना प्राप्त अधियाचना विचारित नहीं की जायेगी।

संजय कुमार मो॰ जमालुद्दीन अंसारी,
सहायक उप पदा॰

10. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय तथा एक मद से दूसरे मद में राशि का विचलन नहीं किया जाय।

11. मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी0 नं0 के साथ यथा पूर्व निदेशित ससमय अनिवार्य रूप से निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्त्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

9/3

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा / बजट(उप)–03–02 / 16– 116 / पटना, दिनांक 09-3- 2017

प्रतिलिपिः–महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा / बजट(उप)–03–02 / 16– 116 / पटना, दिनांक 09-3- 2017

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा / बजट(उप)–03–02 / 16– 116 / पटना, दिनांक 09-3- 2017

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–कारा / बजट(उप)–03–02 / 16– 116 / पटना, दिनांक 09-3- 2017

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।